पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

बोर्ड परीक्षा में अनुचित साधनों को समाप्त करने के लिये सुझाव दिये जाने हेतु समिति गठित

लखनऊः 04 सितम्बर, 2014

उत्तर प्रदेश के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को समाप्त किये जाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुझाव देने हेतु विशेषज्ञों की एक समिति बनाये जाने के निर्देश शासन को दिये गये हैं। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार समिति के सदस्यों को माननीय राज्यपाल शासन के अनुरोध पर नामित करेंगे।

शासन द्वारा किये गये अनुरोध पर माननीय राज्यपाल ने तीन प्रमुख शिक्षाविदों प्रो0 एम0एस0 औलख, कुलपति, मान्यवर काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा (अध्यक्ष), प्रो0 खान मसूद अहमद, कुलपति, ख्वाजा मुईनुद्दनी चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ (सदस्य) एवं डा0 निशि पाण्डेय, प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (सदस्य) को उक्त समिति में नामित कर दिया है।

अन्जुम/रा0/राजभवन